

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

NEW DELHI, THE 28/7/1999

**NOTIFICATION
(INCOME TAX)**

S.O. No. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause(23C) of section 10 of the Income-tax Act,1961(43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Ratan Tata Trust, Mumbai" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002 subject to the following conditions, namely:

- (iv) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (v) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (vi) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION NO. 110/2 (F.NO. 197/63/ 98-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(iii) में प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28/1/99

अधिसूचना
आय-कर

आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43§ की धारा 10 के छ
उ-म§ के उपखण्ड § 1/§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
"सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई" को कर निर्धारण वर्ष
1999-2000, 2000-2001 और 2001 - 20002 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अ
हते हुए उक्त उप-खण्ड के प्रयोगकर्ता अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. कर-निर्धारित उसकी आय का दस्तमाज अथवा उसकी आय का दस्तमाज
के लिए उसका संयोजन पूर्वतया तथा अन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा,
लिए इसकी स्थापना की गई है;

2. कर निर्धारित उस उन्निहित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों के
वर्षों की अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा § 5§ में विनिर्दिष्ट नि
एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से उसकी नि
क्षेत्र, जमीन, फर्निचर अथवा किसी अन्य वस्तु, के रूप में प्राप्त तथा
रक्षा में स्वीकृत अथवा निम्न § का विशेष नहीं करेगा अथवा उसे आय
करना सहेगा;

3. यह अधिसूचना किसी ऐसी बात के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि जारी
से प्राप्त लाभ तथा अभिलेख हों, जब तक कि ऐसा कारोबार उन कर-
निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे §
के संबंध में अलग से सेवा-पुस्तिकाएं नहीं रहीं जाती हों।

समरम

समर मद्र

अधिसूचना सं० 110/2

आय सचिव, भारत सरकार

फाइल सं० 197/63/98 - आ.क.नि.1

देता है,

मुख्यमंत्रि,

भारत सरकार, नई दिल्ली,

दिनांक 28/1/99